...0449/2023

प्रेस नोट

विभाग का नाम–परिवहन विभाग।

विषयः– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर, उनके आश्रितों को मृतक आश्रितों के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु सीधी भर्ती के 195 पदों को अनफ्रीज़ करने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्तमान में अनुकूल वित्तीय स्थिति, मानवीय दृष्टिकोण, निगम के कार्यहित एवं शासकीय हित के दृष्टिगत परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृत हुए कार्मिकों के कुल 195 मृतक आश्रितों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम में सीधी भर्ती के चालक/परिचालक के 195 पदों पर नियमित नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से केवल एक बार के लिए चालक/परिचालक के 195 पदों को अनफ्रीज़ किये जाने का मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोटः–

राज्य सरकार के "दृष्टि पत्र 25 संकल्प 2022" के बिंदु सं0–06 के अनुसार उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत वर्तमान में विद्यमान शासनादेश 782, दिनांक 10.08.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के सभी छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि ₹50,000 में बढ़ोत्तरी कर उक्त धनराशि को ₹1.00 लाख कर दिया गया है। उक्त शासनादेश में निहित प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

Scanned with CamScanner

/172392/2023

/172392/2023

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की पहुँच व्यापक स्तर तक करने हेतु योजनान्तर्गत वर्तमान प्राविधानानुसार दो बालिकाओं के जन्म पर दिये जाने वाले लाभ के स्थान पर राज्य में आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत गर्भवती महिला को प्रसवोपरान्त मात्र दो प्रसवों पर महालक्ष्मी किट से लाभान्वित किया जायेगा, के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

प्रेस–नोट

विभाग का नामः–आवास विभाग (अनुभाग–2)

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में फिलिंग स्टेशन की स्थापना के प्राविधान में संशोधन किये जाने के संबंध में।

आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–1647/V-2/2021–11(एल0यू0सी0)/2003, दिनांकः 05.10.2021, जिसके द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है, जिसमें नदी, नाले, जलाशय, भूगर्भीय स्रोत, स्प्रिंग इत्यादि से फिलिंग स्टेशन की न्यूनतम दूरी 50.00 मी0 सुनिश्चित किये जाने एवं इसमें Flood plain का संज्ञान लेते हुये Flood plain से न्यूनतम 50.00 मी0 दूरी सुनिश्चित किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधान में वर्णित नाले से फिलिंग स्टेशन की न्यूनतम दूरी 50.00 मीटर के स्थान पर 05.00 मीटर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

Scanned with CamScanner

"प्रेस नोट"

विभाग का नामः गृह अनुभाग–5

विषयः उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता हेतु गठित 'विशेषज्ञ समिति' के कार्यों के संपादन हेतु लिये गये निर्णयों के संबंध में।

भारत अनेकता में एकता का देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों/जातियों और संस्कृतियों को मानने वाले रहते हैं। इन विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों ने सदियों से सामाजिक और व्यक्तिगत विषयों पर पृथक कानूनों का पालन किया है परन्तु भारत गणराज्य बनने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया। संविधान के अनुच्छेद–44 के जरिए सरकार को निर्देशित किया गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं0–452 दिनांक 27.05.2022 के द्वारा उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता, विशेषज्ञ समिति के गठन की तिथि से दिनांक 31.10.2023 तक लिये गये निर्णयों से संबंधित शासनादेशों/आदेशों में से कतिपय शासनादेशों पर तात्कालिकता के दृष्टिगत विचलन के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता हेतु गठित 'विशेषज्ञ समिति' के कार्यों के संपादन हेतु लिये गये निर्णयों से संबंधित शासनादेशों को मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

I/172846/2023

प्रेस नोट

विभाग का नाम— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग—06)

विषयः— उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि, बचत निधि एवं बीमा आच्छादन की धनराशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित हैः—

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	रू0 2800 तक	350	175	175	05.00 लाख
2.	रू0 2801 से रू0 5400	700	350	350	10.00 लाख
3.	रू0 5401 से अधिक	1400	700	700	20.00 लाख

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) यथा संशोधित नियमावली, 1999 के नियम–5(1) में प्रावधान है कि "मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा"।

2– वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में अधिकांशतः लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर और पुलिस विभाग में आरक्षी (कान्सटेबल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। चूंकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–1/63365/XXX(2)/2022 दिनांक 14.09.22 द्वारा कनिष्ठ सहायक एवं आरक्षी (कान्सटेबल) आदि सहित समूह 'ग' के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आ गये हैं, जिसके फलस्वरूप राज्याधीन विभागों में मृतक आश्रित के रूप में समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति प्रदान किया जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उक्त के दृष्टिगत जनहित में नियमावली के नियम 5 में संशोधन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली 2023 का प्रख्यापन किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम– औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।

विषय– राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में वर्तमान में औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त आवास विभाग तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा भी औद्योगिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भवन मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए राज्य में समस्त औद्योगिक भवनों के मानचित्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गयी है।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

विषय :नवीन रेफरल सेंटर लघु पशु, (Dog/Cat) देहरादून हेतु आउटसोर्स के पद सृजन के संबंध में।

विभाग का नाम–पशुपालन अनुभाग–01

वर्तमान में छोटे पशुओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून में राज्य स्तरीय रेफरल सेंटर लघु पशु (Dog/Cat) के रूप में स्थापित किया गया हैं, ताकि उन्हें ससमय चिकित्सीय उपचार की सुविधा मिल सकें। उक्त पशुचिकित्सालय की स्थापना होने से सम्पूर्ण राज्य एवं देहरादून एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के पशुओं के जटिल रोगों का सुगमतापूर्वक उपचार किया जा सकेगा। प्रदेश एवं जनपद के अन्य पशुचिकित्सालयों से इस पशुचिकित्सालय में पशुओं को Refer किये जाने की सुविधा भी मिल सकेगी। उक्त पशु चिकित्सालय पर पशुओं की पैथालोजी जॉच/रेडियोलोजिकल/एक्स–रे/अल्ट्रासाउण्ड/सी0 टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 जांच आदि का कार्य किया जायेगा। उक्त पशुचिकित्सालय को तीन पालियों में (24×7) में चलाया जाना है, जिसके लिए उक्त सेंटर पर पशुचिकित्साधिकारियों के अतिरिक्त सपोर्टिंग स्टॉफ का होना अतिआवश्यक है, जिसके लिए आउटसोर्स के (रेडियो टैक्नीशियन–एक पद, लैब टैक्नीशियन–एक पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर/स्टोर कीपर–एक पद, पशुधन सहायक–चार पद (पूर्व से सृजित दो पदों के अनुसार तीन पालियों हेतु चार पद आंकलित), सफाई नायक/चौकीदार–दो पद (पूर्व से सृजित एक पद के अनुसार तीन पालियों हेतु दो पद आंकलित), कुल 09 पदों का सृजन किया जाना है।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित विभिन्न परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में वर्तमान प्रख्यापित बॉण्ड की शर्तों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव–

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेन्टस की भारी कमी तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दुगर्म/अति दुगर्म पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय चिकित्सालयों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी को दूर किये जाने हेतु शासनादेश सं0–837 दिनांक 26 जून, 2019 के प्रस्तर–3(vi) को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के संबंध में प्रकरण को मंत्रिमण्डल के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है :–

> "राजकीय मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण परा–स्नातक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 02 वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी करने की अनुमति होगी एवं इस अवधि को बॉण्ड की शर्तों में उल्लिखित अवधि में सम्मिलित माना जायेगा। सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में सेवायें किसी भी मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरणीय होंगी।"

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

विभाग का नामः— ग्राम्य विकास विभाग

विषयः— ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी एवं चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में चिन्हित किए जाने के सम्बन्ध में।

संक्षिप्त विवरणः— ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी एवं चमोली ग्रेड वेतन 8700/— के 02 पदों को आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 संवर्ग से भरे जाने के कार्मिक विभाग के पूर्व निर्णय के कम में मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी एवं चमोली के रूप में चिन्हित उक्त दोनों पदों को संशोधित कर उपायुक्त (परियोजनाएं) किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचलन से अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत किए गए थे। प्रकरण मा0 मंत्रिमण्डल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया है।

Scanned with CamScanner

..3/80/2023

प्रेस नोट

विभाग का नामः— संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग।

विषयः— श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (धार्मिक संवर्ग) सेवा नियमावली, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः— उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सेवा नियमावलियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभागीय आवश्यकताओं का वर्तमान तथा भावी हित/उपलब्धियों को ध्यान में रखते/सम्मिलित करते हुये सेवा संबंधी प्राविधानों को लागू कराया जाना है। मंदिर समिति के नियमावली में उल्लिखित पद विशिष्ट महत्व/प्रकृति के पद हैं। श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (समय–समय पर यथा संशोधित) की संगत धारा/प्राविधान/नियम में निहित प्राविधानुसार एवं परम्परा/धार्मिक रीति के आलोक में अधिनियम, 1939 (समय–समय पर यथा संशोधित) की संगत धारा–26(2)(घ) के अनुसार नियमावली का प्रख्यापन आवश्यक है।

Signed by Hari Chand

Scanned with CamScanner

File No. [illegible]
175768/2023

175[illegible]2023

<u>प्रेस नोट</u>

विभाग का नामः— संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग।

विषयः— श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर सेवा नियमावली, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः— श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 प्रख्यापित होने के पश्चात श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों की सेवा नियमावलियां अभी तक प्रख्यापित नहीं हुई हैं। अच्छी कार्मिक व्यवस्था तथा कार्मिकों/कर्मचारियों की सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में सुव्यवस्थित निस्तारण तथा कर्मचारियों के मनोबल को बनाये रखने एवं यथोचित सुविधा एवं सुरक्षा देने की दिशा में सेवा नियमावलियों का स्थान सर्वोच्च है। इस प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सेवा नियमावली का प्रख्यापन आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

<u>प्रेस नोट</u>

विभाग का नाम– सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी।

विषयः– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0) के ढाँचें के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–I/151635/2023, दिनांक–04.09.2023 पर मा0 मंत्रिमण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0) के ढाँचें के प्रस्ताव के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यालय अधीक्षक, वैयक्तिक सहायक, स्टैनोग्राफर, परियोजना सहायक एवं मल्टीपर्पज स्टाफ के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा वेतन/मानदेय आदि के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन सहित सहमति प्रदान की गयी थी, किन्तु लिपीकीय त्रुटिवश मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक–07.07.2023 में उक्त परामर्श के इतर अनुमोदन प्राप्त हुआ। संज्ञान में आने पर, मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्शानुसार शासनादेश संख्या–I/151635/2023, दिनांक–04.09.2023 निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश दिनांक–04.09.2023 पर मा0 मंत्रिमण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है।

Scanned with CamScanner

I/176831/2023

प्रेस नोट

विभाग– गृह विभाग।

विषयः– 06 नये थानों एवं 21 चौकियों के गठन हेतु (प्रति थाने 16 पद एवं प्रति चौकी 11 पदों) कुल 327 नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

पुलिस विभाग के अन्तर्गत 06 नवीन थाने एवं 20 नवीन रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों हेतु कुल 316 एवं मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्याः 318/2022 के क्रम में जनपद चम्पावत के थाना पाटी के अन्तर्गत 01 नवीन रिपोर्टिंग पुलिस चौकी देवीधूरा हेतु 11 पदों इस प्रकार कुल 327 नवीन पदों का सृजन किया जाना है। इन पदों के सृजन के उपरान्त उक्तवत क्षेत्रों में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों में पदोन्नति के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा शीघ्र भरा जा सके, इस हेतु शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में एक और परन्तुक जोड़ते हुए सेवाकाल में एक बार के लिए शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 वर्तमान चयन वर्ष 2023–24 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए प्रख्यापित की जा रही है।

Scanned with CamScanner

[illegible] चिकित्सालयों के समान ही प्रशासनिक [illegible]

प्रेस नोट

विभाग का नामः— आवास विभाग (अनुभाग—2)

विषयः ऋषिकेश—कर्णप्रयाग परियोजना में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों के परिसर की सीमा के उपरान्त 200.0 मी0 तक क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किये जाने के संबंध में।

राज्य में ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज लाईन परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत **(1). योग नगरी, ऋषिकेश, (2). शिवपुरी, (3). ब्यासी, (4). सिराला, (5). चिलगढ़ मल्ला, (6). मलेथा, (7). श्रीनगर, (8). धारी देवी, (9). तिलानी, (10). घोलतीर, (11). गौचर** रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन हैं। रेलवे स्टेशन के निकट अनियमित निर्माण से यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाने एवं रेलवे स्टेशन के सौन्दर्य को बिगड़ने से बचाने के लिए, उक्त रेलवे स्टेशन परिसर की सीमा के उपरान्त 200.0 मी0 तक के क्षेत्रांतर्गत समस्त प्रकार के निर्माण/विकास गतिविधियॉं, उक्त क्षेत्र की योजना/महायोजना निर्मित होने तक प्रतिबंधित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

विषय : स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों के समान ही पशुचिकित्सालयों में प्राप्त होने वाले यूजर चार्ज/लेवी का 50 प्रतिशत स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा आपातकालीन औषधियों में व्यय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

विभाग का नाम–पशुपालन अनुभाग–01

वर्तमान में पशुपालन विभाग के अंतर्गत आपातकालीन औषधियों में व्यय किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रेषित मांग मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वीकृति हेतु निदेशक पशुपालन विभाग को प्रेषित की जाती है, जिससे ससमय आपातकालीन औषधि उपलब्ध न होने के कारण पशुओं को समुचित उपचार न मिलने से पशुधन मृत्यु होने से पशु स्वामी को आर्थिक हानि के साथ–साथ पशुधन की भी हानि होती है।

पशुपालकों के बहुमूल्य पशुधन को यथाशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आपातकालीन स्थिति मे प्राप्त लेवी के 75 प्रतिशत धनराशि की औषधि क्रय के अधिकार एवं अन्य आवश्यक प्रबधकीय कार्य निम्नवत् कमेटी के माध्यम से पशु चिकित्साधिकारी स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है:–

संचालक मण्डल के पदाधिकारी एवं सदस्य

क0सं0	पदनाम	पदनाम
1	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
4	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
5	जनपद कोषागार के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य

क0सं0	पदनाम	पदनाम
1	जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 (विकास खण्ड की संख्या के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित किया जाये)	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित विकास खण्ड का वरिष्ठतम पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	जनपद कोषागार के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी द्वारा नामित उप कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो	सदस्य
5	प्रमुख, क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित एक क्षेत्र पंचायत सदस्य	सदस्य

अतः स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी को आपातकालीन औषधि क्रय करने के अधिकार होने पर पशुचिकित्साधिकारी द्वारा क्षेत्र में फैले आकस्मिक संक्रामक बीमारी पर नियन्त्रण पाने हेतु आवश्यक औषधि क्रय कर बीमारी नियंत्रित की जा सकेगी। स्थानीय स्तर पर औषधि की उपलब्धता से पशुधन को ससमय उपचार मिलने से बीमार पशु ठीक होगा तथा अन्य पशुओं को संक्रमण से बचाया जा सकेगा। संक्रमण पर नियंत्रण से पशुजन्य उत्पाद पर विपरीत प्रभाव न पडने के कारण पशुपालक की आर्थिकी में सुधार होगा।

Scanned with CamScanner

प्रेस नोट

विषय : राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत 35 मोबाईल वैटनरी यूनिट (एम0वी0यू0) की स्थापना एवं संचालन की कार्य योजना के सम्बन्ध में।

विभाग का नाम–पशुपालन अनुभाग–01

पशुपालकों को पशुधन उत्पादकता में वृद्धि हेतु मुख्यतः रोगनिवारक एवं परामर्श सेवाओं की आवश्यकता होती है। उक्त हेतु पशुपालन विभाग द्वारा राज्य भर में पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के तंत्र की स्थापना की गयी है। इन संस्थाओं में पशुचिकित्साधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों, वैटनरी फार्मासिस्टों की पद स्थापना की गयी है परन्तु कठिन भौगोलिक परिस्थितियों अविकसित परिवहन एवं संचार सुविधाओं विभागीय संस्थानों की अपेक्षाकृत कम संख्या तथा रोगी पशुओं को पशुचिकित्सालयों तक पहुचांने में होने वाली परेशानी के कारण कई रोगी पशु समय पर पशुचिकित्सा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में पशुपालकों की पशुचिकित्सा संस्थाओं से अत्यधिक दूरी होने के कारण भी पशुपालक ससमय विभागीय सेवाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते है। इन परिस्थितियों में कई बार पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है।

उक्त के दृष्टिगत राज्य के समस्त जनपदों में वर्तमान में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत वर्तमान में 60 मोबाईल वैटनरी यूनिट 60 विकासखण्डों में संचालित की जा रही है। राज्य में अवशेष 35 विकासखण्डों हेतु उक्त की भांति ही राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत 35 मोबाईल वेटनरी यूनिट को 05 वर्ष तक Pilot Basis पर संचालित किये जाने एवं 05 वर्ष के उपरान्त इसकी उपयोगिता दूरस्थ क्षेत्रों में, पशुपालकों को हुआ लाभ एवं प्रशासनिक व्यय में हुए बचत के मूल्यांकन के आधार पर इस योजना को आगे बढाना प्रस्तावित है। मोबाईल वैटनरी एंबुलेंस का क्रय सेवा प्रदाता ऐजेंसी द्वारा एवं उसका सम्पूर्ण संचालन तथा भुगतान प्रति मोबाईल वेटनरी यूनिट की दर से सेवाप्रदाता एजेंसी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

Scanned with CamScanner

<u>प्रेस नोट</u>

विभाग का नामः— खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

विषयः <u>लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार) [redacted] के समस्त राशन कार्डधारकों को 01 कि0ग्रा0 आयोडाईज्ड नमक प्रतिमाह प्रति कार्ड ₹ 8.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।</u>

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार) [redacted] आच्छादित [redacted] राशन कार्डधारकों को महंगाई से राहत देने एवं उनके पोषण को दृष्टिगत् रखते हुए सब्सिडाइज्ड दरों पर 01 कि0ग्रा0 आयोडाईज्ड नमक प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड ₹ 08.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner